

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

.....

NEW DELH, THE 27th May 1998.

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. (E) . - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EA of the Income-tax Act, 1961 the Central Board of Direct Taxes hereby specifies:

- (a) equity to be issued within a period, of one year from the date of publication of this notification in the official Gazette of an amount not exceeding Rs.913 crores by M/s. Reliance Power Ltd., a public company registered under the Indian Companies Act, 1956 and having its registered office at Avdegh House, 3rd Floor, Pritam Nagar, 1st Slope, Ellis bridge, Ahmedabad -3800061 and
- (b) bonds to be issued within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette of an amount not exceeding Rs.2132 crores by M/s. Reliance Power Ltd., a public company registered under the Indian Companies Act, 1956 and having its registered office at Avdegh House, 3rd Floor, Pritam Nagar, 1st Slope, Ellis bridge, Ahmedabad-380006:

Provided that the investment in the aforesaid equity and bonds is made by an assessee out of his income chargeable to tax under the head "Capital Gains" arising out of transfer of long term capital asset :

.....Contd 2/..

Provided further that in case the assessee transfers aforesaid equity and bonds allotted to him in any manner within a period of three years from the date of their allotment, the initial investment made by such assessee in the aforesaid equity and bonds shall be chargeable to tax under the head "Capital Gains" in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 43EA of the Income-tax Act, 1961.

Notification No. 10622



(PROMILA BHARDWAJ)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

F.No.178/134/97-ITA-I

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11, खण्ड-3, उपखण्ड 111 में प्रकाशनायक

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्र-त्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई, 1998

अधिसूचना

आयकर

का.आ. [अ] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ड.क की उपधारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करता है :

[क] भारतीय कंपनी अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी मेसर्स रितायन्स पावर लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय अवस्था हाउस, तीसरी मंजिल, प्रीतम नगर, फस्ट स्लोप, राजिव गान्धी, अहमदाबाद-380006 में है, द्वारा राजकीय गण्ट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी की जाने वाली इक्विटी जो 913 करोड़ रु से अधिक की राशि के नहीं होंगे और

[ख] भारतीय कंपनी अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक कंपनी मेसर्स रितायन्स पावर लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय अवस्था हाउस, तीसरी मंजिल, प्रीतम नगर, फस्ट स्लोप, राजिव गान्धी, अहमदाबाद-380006 में होगा, द्वारा राजकीय गण्ट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किये जाने वाले बन्धनों, जो 2132 करोड़ रु से अधिक राशि के नहीं होंगे ।

बताते कि उपर्युक्त इक्विटी और बन्धनों में निवेश, कर-निर्धारितता द्वारा उसकी आय से किया जाता है जो दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्तियों के अन्तरण से उत्पन्न होने वाले "पूंजीगत अभिलाषों" शीर्षक के अन्तर्गत कर प्रभावी हों ।

बताते कि यह भी कि यदि कर निर्धारितता उसको आवंटित किये गये उपर्युक्त इक्विटी एवं बन्धनों को किसी भी रूप में उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर अंतरण करता है तो उपर्युक्त इक्विटी और बन्धनों में ऐसे कर-निर्धारितता द्वारा किया गया प्रारंभिक निवेश, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 ड.क की उपधारा 12 के प्रावधानों के अन्तर्गत "पूंजीगत अभिलाषों" शीर्षक के अन्तर्गत कर प्रभावी होगा ।

अधिसूचना सं०-16622

प्रोमिला भारद्वाज